Office of the Principal,
Vardhman Institute of Medical Sciences, Pawapuri, Nalanda (Bihar) PIN Code-803115

Principal Mob. No- 9431648784
Website- www.vimspawapuri.org

E-mail- drpkchoudhary13@gmail.com
E-mail- principal.vims.pawapuri@gmail.com

निविदा आमंत्रण

वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सिक्यूरिटी गार्ड की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निबंधित सुरक्षा एजेंसियों से, जिन्हें निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के अन्तर्गत बिहार सरकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त हो तथा जो श्रम विभाग, बिहार सरकार एवं सेन्ट्रल एक्साईज के अन्तर्गत निबंधित हो, से द्विलिफाफा पद्धति तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में निविदा प्रकाशन की तिथि से 22वें दिन 05:00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है। निविदा को बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा की सूची/नियम एवं शर्तें प्रथम प्रकाशन की तिथि से 20 दिनों के अन्दर किसी भी कार्य दिवस के दिन कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इसे संस्थान के वेबसाइट WWW.VIMSPAWAPURI.ORG पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

कार्य का विवरण	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा को सेवानिवृत फौजी अथवा अर्द्धसैनिक गार्ड के जवान/प्रशिक्षित पुरुष/महिला गार्ड के द्वारा आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
कर्मियों की आवश्यकता	सेवानिवृत फौजी अथवा अर्द्धसैनिक गार्ड के जवान/प्रशिक्षित पुरूष/महिला।
निविदा प्रपत्र निर्गत करने की तिथि	प्रथम प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों तक।
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	प्रथम प्रकाशन की तिथि से बाईस दिनों के अन्दर।
निविदा की अग्रधन राशि	30,000/–(तीस हजार) रू. मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा के नाम से देय होगा।

नियम एवं शर्तें :–

1. वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु बिहार सरकार में निबंधित एजेंसी द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। चयनित एजेंसी को आंतरिक सुरक्षा कार्य

करना होगा। सेवानिवृत फौजी अथवा अर्द्धसैनिक गार्ड के जवान/प्रशिक्षित पुरूष/महिला गार्ड की संख्या आवश्यकतानुसार होगी। उसी सख्या में से आवश्यकतानुसार एक सुपरवाईजर का चयन होगा। सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। संख्या बढ़ने पर चयनित एजेंसी को सुरक्षा कर्मी की संख्या माँग के अनुरूप मुहैया करानी होगी।

2. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रथम प्रकाशन की तिथि से 22 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त होनी चाहिए। बाद में प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार ही मान्य होगा। डाक विभाग में हुई देरी के लिए अंतिम तिथि में कोई छूट नहीं दी जाएगी। निविदा की प्रथम प्रकाशन की तिथि ही मान्य होगी।
3. निविदा दो प्रकार की होगी – (1) तकनीकी निविदा एवं (2) वित्तीय निविदा।
दोनों निविदाओं को अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में सी०डी० के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा टंकित कर पुनः एक बड़े लिफाफे में भरकर मुहरबंद कर पी०आर० नम्बर लिखते हुए इस पर जिन कार्यों के लिए निविदा हो उसका नाम अंकित कर प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा – 803115 के पदनाम से केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाय।
4. निविदादाताओं को तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 30,000/– (तीस हजार) रू. मात्र का प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के पदनाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट या डाकघर द्वारा प्रतिभूत किया गया राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। पूर्व में जमा किये गये अग्रधन राशि की मान्यता नहीं होगी।
5. एजेंसी को बिहार सरकार गृह (विशेष) विभाग से निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने की अनुज्ञप्ति अनिवार्य है। अनुज्ञप्ति की वैधता वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अनिवार्य है।(छाया प्रति संलग्न करें)
6. एजेंसी को बिहार सरकार के श्रम विभाग का निबंधन अनिवार्य है। (छाया प्रति संलग्न करें)
7. एजेंसी को बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य है। (छाया प्रति संलग्न करें)
8. निविदादाताओं को सर्विस टैक्स निबंधित होना अनिवार्य है। (छाया प्रति संलग्न करें)
9. एजेंसी को वाणिज्य कर विभाग से निबंधित होना अनिवार्य है। (छाया प्रति संलग्न करें)
10. एजेंसी को पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
11. एजेंसी को एक साल का Audit Balance Sheet संलग्न करना होगा।
12. सेवानिवृत फौजी/अर्द्धसैनिक गार्ड/प्रशिक्षित जवान के उम्र संबंधित कागजात अथवा डिस्चार्ज बुक की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। सेवानिवृत फौजी की अधिकतम उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी। (निविदा प्रकाशन की तिथि से उम्र की गणना की जायेगी)
13. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा की प्राप्ति या खोलने की तिथि को परिवर्तित करने तथा किसी भी निविदा की न्यूनतम दर होने के बावजूद स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
14. वित्तीय निविदा में वित्तीय न्यूनतम दर ही मान्य होगा, अन्य अंकित शर्तें मान्य नहीं होगा।

15. सेवानिवृत फौजी अथवा अर्द्धसैनिक गार्ड के जवान/प्रशिक्षित पुरूष/महिला गार्ड का कार्य असंतोषप्रद अर्थात् ड्यूटी से अनुपस्थित, सोते हुए या अशोभनीय हरकतों से संलिप्त होने पर एजेंसी को 1000/– (एक हजार) रूपये प्रतिदिन तक आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है तथा उक्त तिथि का मानदेय स्थगित/काट दिया जाएगा। कार्यशैली असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में एजेंसी की सेवा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। बिना स्पष्टीकरण पूछे अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा।

16. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को सभी शर्त पालन करने का इकरारनामा 10 दिनों के अन्दर एक सौ रूपये के Non Judicial Stamp पर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।

17. प्राचार्य/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा तीनों पाली के कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति पंजी के अवलोकन करने एवं रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

18. किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र बिहारशरीफ, नालन्दा होगा।

19. सरकार के द्वारा आवंटन उपलब्ध होने पर भुगतान नियमानुकूल किया जाएगा। भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का सूद (ब्याज) देय नहीं होगा। सुरक्षाकर्मी का भुगतान एजेंसी द्वारा हर माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से करना होगा, भले ही संस्थान द्वारा राशि का भुगतान नहीं हुआ हो।

20. वित्तीय निविदा में प्रति सुरक्षा कर्मी के लिए दर अंकित करना होगा। इसी दर के अन्दर EPF/ESI एवं श्रम नियमावली आदि के अन्तर्गत देय सभी सुविधाएँ होंगी।

21. स्वीकृत दर वाले निविदादाता को सशस्त्र सेवानिवृत फौजी अथवा अर्द्धसैनिक गार्ड के जवान/प्रशिक्षित पुरूष/महिला गार्ड मुहैया कराना होगा। सेवानिवृत फौजी अथवा अर्द्धसैनिक गार्ड के जवान/प्रशिक्षित पुरूष/महिला गार्ड उपलब्ध नहीं कराने पर उनकी निविदा रद्द कर द्वितीय दर वाले निविदादाता को कार्य आदेश दे दिया जाएगा।

22. निविदा में संलग्न किये गये सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित एवं पृष्ठांकित होना अनिवार्य है।

23. अनुबंध एक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) तक वैध होगा। कार्यों की समीक्षा के बाद इस अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कार्य आदेश किसी भी माह में दिया जा सकता है।

24. अनुबंध की अवधि में आपके द्वारा कार्यरत किसी भी गार्ड/सुपरवाईजर की बीमारी, चोट या अन्य दुर्घटना के लिए कॉलेज प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा।

25. कंपनी को सुरक्षा गार्ड के रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगा।

26. बिल के साथ इस दस्तावेजों को लगाना होगा – हाजरी पुस्तिका की मूल प्रति, पिछले महीने के EPF के चालान की प्रति, पिछले महीने में जमा ESI चालान की प्रति एवं पिछले महीने भुगतान किए गए तनख्वाह/मजदूरी का सबूत।

27. शारीरिक एवं मानसिक क्षमता की जाँच कॉलेज प्रशासन द्वारा चयनिक कमिटी द्वारा की जायेगी जिसकी फीस प्रति व्यक्ति 200/– के हिसाब से अदा करनी होगी।

28. 24 घंटे के अन्दर किसी भी गार्ड से 8 घंटे से अधिक का कार्य नहीं लेना होगा। किसी गार्ड के छुट्टी पर या अनुपस्थित रहने पर उनके बदले में अन्य पदस्थापित गार्ड से अतिरिक्त कार्य नहीं लेना होगा। नियमानुकूल उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा, किसी अतिरिक्त गार्ड से कार्य करवाने की स्थिति में अनुपस्थित गार्ड की देय राशि उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी।

29. वैसे निविदादाता जिन्हें किसी आवासीय तकनीकी संस्थान/स्तरीय आवासीय शिक्षण संस्थान में जहाँ छात्र–छात्रायें रहते हों, कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो, उन्हें इस संबंध में संस्थान प्रमुख से, जहाँ आपने कार्य किया है, प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

30. एक बार गार्ड का चयन होने के पश्चात् कंपनी को इसे बदलने का अधिकार नहीं होगा। अगर उस गार्ड की कार्य शैली असंतोषजनक है तब अधोहस्ताक्षरी इसके संबंध में कंपनी को सूचित करेंगें एवं न्यायोचित कार्रवाई करनी होगी। किसी कारणवश अगर गार्ड नौकरी छोड़ता है, उस स्थिति में खाली पद पर अन्य गार्ड की बहाली अधोहस्ताक्षरी से वार्ता/परामर्श के पश्चात् करनी होगी। सही गार्ड के नहीं मिलने की स्थिति में यह पद खाली रहेगा अथवा अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं गार्ड की बहाली करें।

31. कंपनी के मनोनित पदाधिकारी की पूर्ण जानकारी, नाम, उम्र, अनुभव इत्यादि अधोहस्ताक्षरी को देना होगा और अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह समय–समय पर उस पदाधिकारी को विचार विमर्श के लिए अपने कार्यालय में बुला सकते हैं।

32. वर्तमान में कुल 80 सुरक्षा गार्डों को कार्य पर लगाया जाएगा। आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्डों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। कंपनी को यह अधिकार होगा कि उनमें किसी एक का चयन कर सुपरवाईजर का काम कराये, लेकिन उक्त सुपरवाईजर को भी नियमानुकूल 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। सुपरवाईजर को अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।

33. यह संस्थान पूर्णतः वातानुकूलित है। अतः किसी दुर्घटना जैसे आगजनी संबंधित जानकारी गार्ड को होनी चाहिए। Fire Safety Operation की Basic जानकारी होनी चाहिए।

34. गार्ड कैंपस के अन्दर Regular round करेंगे।

35. कार्य स्थल के Water taps/Light/AC को बंद करने की जिम्मेवारी ड्यूटी पर उपस्थित गार्ड की होगी।

36. एजेंसी को टॉर्च, सिटी, रेनकोट, मोबाइल, लाठी एवं फरसा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

37. प्रत्येक गार्ड का Police Verification योगदान के एक महीने के अन्दर करना होगा एवं इससे संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति को समर्पित करना होगा।

38. कार्यरत गार्डों को कम–से–कम श्रम विभाग द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी देनी होगी।

9/1/2022

प्राचार्य,
वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान,
पावापुरी, नालन्दा।